213

उत्तराखण्ड शुगर्स

उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0

एस–08, त्यौनर विला, सी–ब्लॉक, गणेश विहार, अजबपुरखुर्द,
देहरादून–248001 (उत्तराखण्ड)

दूरभाष सं0 :- 0135- 6050050, वैब साईट– www.uttarakhandsugars.com ई–मेल : usugars@rediffmail.com

पत्रांक 1238 दिनांक 09/03/16

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों हेतु प्रख्यापित की गयी पदोन्नति नीति 2012 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित विवरणानुसार कॉलम 02 में अंकित वर्तमान पदोन्नति नीति के स्थान पर कॉलम 03 में अंकित पदोन्नति नीति एतदद्वारा तत्कालिक प्रभाव से प्रतिस्थापित की जाती है–

संवर्ग का नाम	वर्तमान पदोन्नति नीति	प्रतिस्थापित पदोन्नति नीति
1– अभियन्त्रण संवर्ग अ– डिप्लोमा धारक	अभियन्त्रण संवर्ग में सुपरवाईजरी–ए में 03 वर्ष की सेवा के उपरान्त इन्हें संघ वेतनमान रू0 6500–10500 में सहायक अभियन्ता पद के लिए अर्ह माना जायेगा जिसके लिए पदोन्नति का आधार चयन /रिक्ति/मैरिट होगा।	अभियन्त्रण संवर्ग में जो डिप्लोमा होल्डर्स स्थायी अवर अभियन्ता (सिविल) सुपरवाईजरी –बी अथवा उच्च वेतनमान में कार्यरत हैं, को कुल 20 वर्ष की अविरल सेवा के उपरान्त सहायक अभियन्ता (सिविल) वेतनमान रू0 6500–10500 में पदोन्नति हेतु अर्ह माना जायेगा जिसके लिए पदोन्नति का आधार चयन/रिक्ति /मैरिट होगा।
4– लेखा संवर्ग	चीनी मिलों में लेखा संवर्ग के कार्मिक सामान्यतः सहायक लेखाकार/ लेखा लिपिक ग्रेड–01 /कॉस्ट असिस्टेन्ट का सुपरवाईजरी–सी वेतनमान निर्धारित है। प्रस्तावित किया गया है कि जो कार्मिक अपनी योग्यता के आधार पर सहायक लेखाकार/लेखा लिपिक ग्रेड–01 तक पहुँच गये है अथवा कॉस्ट असिस्टेन्ट के पद पर कार्यरत है उन्हें 08 वर्ष की सेवा के उपरान्त सुपरवाईजरी–बी वेतनमान सहायक लेखाकार/कॉस्ट असिस्टेन्ट चयन वेतनमान प्रदान किया जायेगा। प्रस्ताव है कि सहायक लेखाकार चयन वेतनमान एवं कॉस्ट असिस्टेन्ट के सुपरवाईजरी–बी ग्रेड में 07 वर्ष की सेवावधि के उपरान्त सुपरवाईजरी–ए लेखाकार/कॉस्ट के लिए अर्ह माने जायेंगे। इसके पश्चात् सुपरवाईजरी–ए	चीनी मिलों में लेखा संवर्ग के कार्मिक सामान्यतः सहायक लेखाकार/ लेखा लिपिक ग्रेड–01/कॉस्ट असिस्टेन्ट का सुपरवाईजरी –सी वेतनमान निर्धारित है। प्रस्तावित किया गया है कि जो कार्मिक अपनी योग्यता के आधार पर सहायक लेखाकार/लेखा लिपिक ग्रेड–01 तक पहुँच गये है अथवा कॉस्ट असिस्टेन्ट के पद पर कार्यरत है उन्हें 08 वर्ष की सेवा के उपरान्त सुपरवाईजरी–बी वेतनमान सहायक लेखाकार/कॉस्ट असिस्टेन्ट चयन वेतनमान प्रदान किया जायेगा। प्रस्ताव है कि सहायक लेखाकार चयन वेतनमान एवं कॉस्ट असिस्टेन्ट के सुपरवाईजरी–बी ग्रेड में 07 वर्ष की सेवावधि के उपरान्त सुपरवाईजरी–ए लेखाकार/कॉस्ट के लिए अर्ह माने जायेंगे। बीकॉम योग्यताधारी सुपरवाईजरी –ए लेखाकार/कॉस्ट असिस्टेन्ट पद पर 05 वर्ष की सेवा अथवा लेखा लिपिक

	ग्रेड में 08 वर्ष की सेवा के उपरान्त इन्हें वरिष्ठ लेखाकार वेतनमान रू0 6500–10500 के लिए अर्ह माना जायेगा। इसके लिए पदोन्नति का आधार चयन/मैरिट/रिक्ति होगा। यह भी प्रस्तावित है कि ऐसे कार्मिक जिन्होंने सुपरवाईजरी–बी वेतनमान में नियमित 15 वर्ष की सेवावधि पूर्ण कर ली हो उन्हें वरिष्ठ लेखाकार पद के लिए अर्ह माना जाये। पदोन्नति का आधार चयन/मैरिट/रिक्ति होगा।	एवं सहायक लेखाकार अथवा इससे उच्च पद पर नियमित 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कार्मिकों को वरिष्ठ लेखाकार वेतनमान रू0 6500–10500 के पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह माना जाएगा। पदोन्नति का आधार चयन/मैरिट/रिक्ति होगा।
5– गन्ना विकास	इकाईयों में गन्ना विकास एवं विपणन कार्य के लिए गन्ना निरीक्षक, गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना लेखाकार, गन्ना हैड क्लर्क आदि कार्मिक निम्न स्तरों से योग्यता के आधार पर सुपरवाईजरी–सी ग्रेड तक 12 वर्ष से 15 वर्ष तक की सेवावधि के उपरान्त पहुँचते है। प्रस्तावित किया गया है कि योग्य कार्मिकों को बिना पदनाम का परिवर्तन किये सुपरवाईजरी–सी ग्रेड पर 08 वर्ष की सेवा के उपरान्त सुपरवाईजरी–बी वेतनमान में पदोन्नति के लिए अर्ह माना जाये। इकाईयों के अधिग्रहण के फलस्वरूप समायोजित किये गये गन्ना अधीक्षक, वरिष्ठ सहायक गन्ना प्रबन्धक, उप गन्ना प्रबन्धक आदि पदधारक सुपरवाईजरी–बी ग्रेड में कार्यरत है। प्रस्तावित किया गया है कि ऐसे पद धारकों को सुपरवाईजरी–बी में 15 वर्ष की सेवावधि के उपरान्त गन्ना प्रबन्धक /गन्ना विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह माना जाये जिनका वेतनमान रू0 6500–10500 होगा। पदोन्नति का आधार चयन/मैरिट/रिक्ति होगा।	इकाईयों में गन्ना विकास एवं विपणन कार्य के लिए गन्ना निरीक्षक, गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना लेखाकार, गन्ना हैड क्लर्क आदि कार्मिक निम्न स्तरों से योग्यता के आधार पर सुपरवाईजरी–सी ग्रेड तक 12 वर्ष से 15 वर्ष तक की सेवावधि के उपरान्त पहुँचते है। प्रस्तावित किया गया है कि योग्य कार्मिकों को बिना पदनाम का परिवर्तन किये सुपरवाईजरी–सी ग्रेड पर 08 वर्ष की सेवा के उपरान्त सुपरवाईजरी–बी वेतनमान में पदोन्नति के लिए अर्ह माना जाये। इकाईयों के अधिग्रहण के फलस्वरूप समायोजित किये गये गन्ना अधीक्षक, वरिष्ठ सहायक गन्ना प्रबन्धक, उप गन्ना प्रबन्धक आदि पदधारक सुपरवाईजरी–बी ग्रेड में कार्यरत है। प्रस्तावित किया गया है कि ऐसे पद धारकों को सुपरवाईजरी–बी में 10 वर्ष की सेवावधि के उपरान्त गन्ना प्रबन्धक/गन्ना विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह माना जाये जिनका वेतनमान रू0 6500–10500 होगा। पदोन्नति का आधार चयन/मैरिट/रिक्ति होगा।
विभागाध्यक्ष पदों पर पदोन्नति हेतु निर्धारित सेवा अवधि	वर्तमान पदोन्नति नीति में मुख्य अभियन्ता, मुख्य रसायनविद्, के पदों पर पदोन्नति हेतु निम्न पद पर 08 वर्ष की सेवा के उपरान्त पदोन्नति हेतु अर्ह माना गया है।	उप मुख्य अभियन्ता, उप मुख्य रसायनविद् पद पर 05 वर्ष की नियमित सेवा के उपरान्त मुख्य अभियन्ता, मुख्य रसायनविद्, के पदों पर पदोन्नति हेतु अर्ह माना जाएगा।

प्र0नि0/[illegible]

पदोन्नति नीति 2012 उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाएगी तथा पदोन्नति नीति में निहित अन्य व्यवस्था यथावत् रहेंगी।

(प्रदीप सिंह रावत)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि :–

1– प्रशासक, उत्तराखण्ड शुगर्स।
2– अधिशासी निदेशक, चीनी मिल किच्छा/डोईवाला ।
3– गार्ड फाईल।

(प्रदीप सिंह रावत)
प्रबन्ध निदेशक